कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरिद्वार।

1. कार्यालयाध्यक्ष का नामः– दीपराज अग्निहोत्री
2. मोबाईल नं0:– 9410594697
3. कार्यालय कक्ष संख्याः– 36 प्रथम तल, विकास भवन, रोशनाबाद
4. कार्यालय की ई–मेल आई0डी0:– dpohardwar@gmail.com

जनसामान्य हेतु चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।

1. **निराश्रित विधवाओं को सहायक अनुदानः–** 60 वर्ष से कम आयु की ऐसी निराश्रित विधवा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो अथवा जिसकी मासिक आय रू0 4000/– तक हो तथा कोई पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक का न हो यदि हों तो वह भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो, को विधवा पेंशन के रूप में शासन द्वारा 1000/– रू0 प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 1502.52 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 17845 विधवा पेंशनर्स को तीन त्रैमास का भुगतान किया गया।

2. **विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कारः–** 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर आयकरदाता न होने की स्थिति में दम्पत्ति को शासन द्वारा 11000/– रू0 पुरस्कार दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 0.22 लाख की धनराशि जिला योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुई है, जिसको व्यय कर कुल 02 दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया।

3. **परित्यक्त विवाहित महिला, निराश्रित अविवाहित महिला एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी को अनुदानः–** 35 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की ऐसी महिला जिसको शादी के बाद पति द्वारा छोडे जाने का कम से कम समय 1 वर्ष व्यतीत हो गया हो, को 1000/– रू0 प्रतिमाह अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

40 वर्ष से 60 वर्ष तक की ऐसी महिला जिसकी किन्ही कारणवश शादी नहीं हो पाती है, को 1000/– रू0 प्रतिमाह अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

18 वर्ष से 60 वर्ष तक की ऐसी महिला जिनके पति मानसिक रूप से विक्षिप्त हों, को 1400/– रू0 प्रतिमाह अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

उक्त योजना हेतु बी0पी0एल0 श्रेणी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 15976/– तथा शहरी क्षेत्र में रू0 21206/– वार्षिक आय से अधिक न हों। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 7.77 लाख की धनराशि व्यय कर कुल 139 महिलाओं को दो त्रैमास का भुगतान किया गया।

4. **परित्यक्त विवाहित महिला एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी की पुत्री के विवाह हेतु अनुदानः–** परित्यक्त विवाहित महिला एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति अथवा उसकी पत्नी की पुत्री के विवाह हेतु रू0 50000/– का अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यालय में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

5. **सामान्य जाति की छात्राओं को छात्रवृत्तिः–** बी0पी0एल0 श्रेणी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 15976/– तथा शहरी क्षेत्र में रू0 21206/– वार्षिक आय वाले वर्ग की व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्रा को रू0 190/–प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत आज दिनांक तक कोई आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी
हरिद्वार